

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज

नं व तारीख अहकाम जो  
इस हुक्म की तारीख में  
जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर  
अपील संख्या- 152/2014 अंतर्गत धारा-76 एल.आर.एक्ट  
(GCMS No. 2014/00203)

अनवान:

1. नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री सोहन लाल अरोड़ा साकिन पुरानी आवादी, शक्तिनगर, गली नंबर 2, श्रीगंगानगर।
2. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री सोहन लाल अरोड़ा साकिन पुरानी आवादी, शक्तिनगर, गली नंबर 3, श्रीगंगानगर वगैरह।



22.4.25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्त को रेस्पोंडेंट संख्या 8 व 13 के जायज वारिसान की सूची पेश करने एवं 10, 11 के निमित्त सही पता अंकित कर सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.11.2013 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्त को बार-बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलान्त द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांत को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्त राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)  
संभागीय आयुक्त,  
बीकानेर